

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-21/2002/वा.कर/पांच (27).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्र. 816-635, वी.एस.आर., दिनांक 24-2-1975 में पुनः संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारिणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बंधन के 45 के बाद निम्न क्रमांक को जोड़ा जाता है :—

46. राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के पक्ष में वर्ष 2001-2002 में निष्पादित किये जाने वाले 3 करोड़ के ऋण से संबंधित बंधक विलेख पर उक्त अधिनियम की रजिस्ट्रीकरण फीस सारिणी के अनुच्छेद-1 के अधीन निर्दिष्ट दर का आधा करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2002

क्रमांक एफ-10-21-2002/वा.कर/पांच (27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना एफ-10-21-2002/वा.कर/पांच (27), दिनांक 7-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2002

100 (1)

Raipur, the 7th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-21-2002/CT/V(27).—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. VI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment to the notification No. 816-635-VSR dated 24-2-1975 and publishes the same as required by Section 79 of the said Act namely :—

AMENDMENT

In the said notification in the table of registration fees, under the sub-heading exemption and reduction after item No. 45, the following item shall be added, namely :—

46. State Government reduces to one half of the rates specified in Article 1 of the Table of Registration fee under the said Act, mortgage deed to be executed by Chhattisgarh State Co-operative Housing Federation Ltd., Raipur in favour of Life Insurance Corporation of India in connection with the grant of loan of Rupees 3 Crores.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.